

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 708]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 — अग्रहायण 18, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2022/एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में,—

नियम (2) में, सरल क्रमांक पन्द्रह के कॉलम क्रमांक (2), (3) एवं (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“पन्द्रह.	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	पच्चीस	आदिम जाति विकास विभाग
		चौवन	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
		सत्तावन	अनुसूचित जाति विकास विभाग.”

2. उक्त नियमों की अनुसूची में,—

शीर्षक “पच्चीस—आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग” तथा उसके भाग (अ) से (ऊ) तक के उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित भाग (अ) से (ऊ) प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“पच्चीस—आदिम जाति विकास विभाग

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. अनुसूचित जनजातियों (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए, जो कि अन्य विभागों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से आते हैं, उदाहरणार्थ — सेवा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं).
2. अनुसूचित क्षेत्र—जनजाति सलाहकार परिषद.
3. जनजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था.

4. उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन.
5. जनजाति क्षेत्रों में समाज सेवाओं का समन्वय.
6. गहन जनजाति विकास कार्यक्रम तथा जनजाति परियोजनाएं.
7. जनजाति उप आयोजना का अवधारण तथा अनुमान.
8. जनजाति क्षेत्र विकास योजनाएं तथा अनुसंधान.
9. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का संरक्षण एवं विकास.
10. यायावर तथा अर्द्ध यायावर प्रवासी जनजाति विकास कार्यक्रम.
11. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर)
उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :

1. ऋण सहायता अधिनियम, 1976
2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22).
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का सं. 33).
4. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995).
5. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण निधि नियम, 2004.
6. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण निधि नियम, 2004.
7. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का सं. 2).
8. छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् नियम, 2006.
9. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण निधि नियम, 2014.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. आयुक्त, आदिम जाति विकास.
2. संचालक, आदिम जाति विकास.
3. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं इकाई.
4. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान.
5. सिविल अधिकार संरक्षण कोष.
6. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग.
7. छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास समिति.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम :

1. कुछ नहीं.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

1. छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त अन्य विकास निगम मर्यादित.
2. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.
3. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.
4. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :

1. कुछ नहीं."

3. शीर्षक "छप्पन- इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"सत्तावन-अनुसूचित जाति विकास विभाग

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. अनुसूचित जातियां (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए जो कि अन्य विभागों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से आते हैं, उदाहरणार्थ - सेवा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं).
2. अस्पृश्यता निवारण.
3. अनुसूचित जाति विकास योजनाओं का अवधारण तथा अनुमान.
4. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :- नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :

1. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995).
2. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि नियम, 2004.
3. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 25)

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. संचालक, अनुसूचित जाति विकास.
2. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :

कुछ नहीं.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

1. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण.
2. छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :

कुछ नहीं."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 1-1/2022/एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2022/एक (1), दिनांक 9-12-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 9th December 2022

NOTIFICATION

No. F 1-1/2022/One(1).— In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENT

1. In the said rules,-

In rule (2), for entries of column number (2), (3) and (4) of serial number Fifteen, the following entries shall be substituted, respectively, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"Fifteen.	Scheduled Tribal and Scheduled Castes Development Department	Twenty five	Scheduled Tribal Development Department
		Fifty four	Backward Classes and Minorities Development Department
		Fifty Seven	Scheduled Castes Development Department

2. In Schedule of the said rules,-

For heading "XXV-Scheduled Tribal and Scheduled Castes Development Department" and entires relating thereto of Part (A) to (F), the following Part (A) to (F) shall be substituted, namely:-

"XXV - Scheduled Tribal Development Department

(A) Matters of Policy dealt within the Department :

1. Schedule Tribes (Excluding Matters specifically falling within the scope of other deparments matters. e.g. service and educational concessions).
2. Scheduled Area-Tribes Advisory Council.

3. Tribal Research and Training Institute.
4. Verification of Castes Certificate by High-Power Scrutiny Committee.
5. Co-ordination of Social Service in Tribal areas.
6. Intensive Tribal Development Programme and Tribal Projects.
7. Determination and Estimates of Tribal Sub-Plan.
8. Tribal Area Development Schemes and Research.
9. Conservation and Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups.
10. Development Programmes for Nomadic and Semi-Nomadic Tribes.
11. All matters relating to the Services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department), e.g. appointment, posting, transfer, salary, leave, pension, promotions, provident funds, deputations, punishment and representations.

(B) Acts and Rules Administred by the Department :

1. Debt Relief Act, 1976.
2. The Protection of Civil Rights Act, 1955 (No. 22 of 1955).
3. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989).
4. The Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995)
5. Baster and Southern Area Scheduled Tribes Development Authority Fund Rules, 2004.
6. Sarguja and Northern Area Scheduled Tribes Development Authority Fund Rules, 2004.
7. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).
8. Chhattisgarh Tribes Advisory Council Rules, 2006.
9. Middle Area Schedule Tribe Development Authority Fund Rules, 2014.

(C) Directorates and Offices coming under Department :

1. Commissioner, Tribal Development.
2. Director, Tribal Development.
3. Director, Tribal Area Development and Planning Unit.
4. Director, Tribal Research and Training Institute.
5. Civil Rights Protection Cell.
6. The Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog.

7. Chhattisgarh Adiwasi Vikas samiti.

(D) Boards and Corporations Setup Under Act :

1. Nil.

(E) Other Institution and Corporations not covered under (D) :

1. Chhattisgarh Rajya Antyavasayi Sahkari Vitt anya Vikas Nigam Maryadit.
2. Baster and Southern Area Scheduled Tribes Development Authority.
3. Sarguja and Northern Area Scheduled Tribes Development Authority.
4. Middle Area Scheduled Tribes Development Authority.

(F) Name of Services falling under the department, if any or special service matter, if any :

1. Nil."

After the entries relating to heading "LVI- Electronics and Information Technology Department", the following heading shall be added, namely:-

"LVII - Scheduled Castes Development Department

(A) Matters of Policy dealt within the Department :

1. Schedule castes (Excluding Matters specifically falling within the scope of other departments matters. e.g. service and educational concessions).
2. Removal of Untouchability.
3. Determination and Estimate of Scheduled Castes Development Schemes.
4. All matters relating to the Services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department), e.g. appointment, posting, transfer, salary, leave, pension, promotions, provident funds, deputations, punishment and representations.

(B) Acts and Rules Administred by the Department :

1. The Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jati Ayog Adhiniyam, 1995 (No.25, of 1995).
2. Schedule Castes Development Authority Fund Rules, 2004.
3. Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. (No.25, of 2013).

(C) Directorates and Offices coming under Department :

1. Director, Schedule Castes Development.
2. The Chhattisgarh Rajya Anusuchit jati Ayog.

(D) Committees and Corporations constituted Under Act :

1. Nil.

(E) Other Institution and Corporations not covered under (D) :

1. Schedule Castes Development Authority.
2. Chhattisgarh Charm Shilpkar Vikas Board.

(F) Name of the Services coming under the Department, if any or special service matters, if any :

1. Nil."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY AGRAWAL, Joint Secretary.